बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0सं0–03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे–13/2024 (खण्ड)....1175

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 10/04/2026

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत सर्वेक्षण कार्यों के विभिन्न प्रक्रम की प्रगति का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण राजस्व प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा छपरा एवं मुंगेर जिला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के क्रम में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसमें विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर उचित निगरानी एवं पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया।

2. आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सात निश्चय–3 (2025–2030) में स्तंभ 7 के अंतर्गत Ease of Living में, विशेष सर्वेक्षण कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वेक्षण संविदा कर्मी पर राजस्व प्रशासन के पदाधिकारियो का तीनों स्तर पर नियंत्रण आवश्यक है। तदानुसार निदेशित किया जाता है कि संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा शिविर प्रभारी के साथ शिविर स्तर पर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा अनुमंडल क्षेत्र अन्तगर्त सभी शिविरों एवं अपर समाहर्त्ता के द्वारा जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी के साथ सप्ताह के अलग–अलग दिवस में (सोमवार एवं शुक्रवार को छोड़कर) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के तहत संचालित शिविरों का अनिवार्य रूप से भ्रमण करेंगें एवं निम्न बिन्दुओं पर नियमित रूप से निरीक्षण, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण (Supervision) का कार्य करना सुनिश्चत करेंगें :–

(क) विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगों एवं शिविर प्रभारी द्वारा संधारित डायरी एवं उपस्थिति की जाँच।
(ख) ग्रामवार ग्राम अभिलेख का संधारण एवं शिविर में संधारित पंजियों की जाँच।
(ग) किस्तवार प्रक्रम के अंतर्गत त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापण की प्रगति।
(घ) खानापुरी प्रक्रम में तैयार किये जा रहे यादास्त पंजी मे पारित आदेशों की समीक्षा/निरीक्षण।
(ड.) प्रपत्र–8 में प्राप्त दावा आपति की सुनवाई एवं निपटारा आदेश की गुणवत्ता ।
(च) प्रपत्र–14 में प्राप्त दावा आपति की सुनवाई एवं निपटारा आदेश का गुणवत्ता।
(छ) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के सभी प्रपत्र एवं प्रक्रमों के अनुसार भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रवृष्टि।
(ज) लोक भूमि/सरकारी भूमि का संरक्षण।
(झ) प्रभारी पदाधिकारी के स्तर पर तैयार किये गए लगान दर तालिका की समीक्षा।
(ञ) अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन (प्रपत्र–20) एवं प्रपत्र–21 में प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि समाहर्त्ता एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी समन्वय से सर्वेक्षण के कार्य करेंगें एवं यदि दोनो के मत में भिन्नता हो तो प्रमंडलीय आयुक्त आवश्यक दिशा निर्देश देकर सर्वेक्षण का कार्य मार्च–2027 तक पूर्ण कराने का प्रयास करेंगें ।

विश्वासभाजन

(सी0 के0 अनिल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे–13/2024 (खण्ड)......1175....../दिनांकः– 10/04/2026

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे–13/2024 (खण्ड)......1175....../दिनांकः– 10/04/2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे–13/2024 (खण्ड)......1175....../दिनांकः– 10/04/2026

प्रतिलिपि :– सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे–13/2024 (खण्ड)......1175....../दिनांकः– 10/04/2026

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर IT Cell भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/04/2026

(सी0 के0 अनिल)
सरकार के प्रधान सचिव।